राजस्थान सरकार

निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1,अम्बेडकर भवन,राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र,

जयपुर दिनांक 13/05/2020

क्रमांक –एफ 7 (2)(1)/रा.छा./सान्या.अवि./20–21/28256

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संशोधित आदेश क्रमांक 34054 दिनांक 11.06.2019 द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 6 के बिन्दु संख्या 3 में संशोधन किया गया था। कोरोना वायरस महामारी के फलस्वरूप लोकडाउन के कारण परीक्षा परिणामों में विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किया गया है। राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त वर्ष 2020–21 में छात्रावासो एवं आवासीय विधालयो में नवीन प्रवेश हेतु प्रवेश में प्रतिशत की पात्रता के नियमों में नियमों में वर्ष 2020–21 के लिये निम्नानुसार शिथिलन दिया जाता है :–

क्र. सं.	*नियम का विवरण*	*वर्तमान नियम*	वर्ष 2020–21 में प्रवेश हेतु *शिथिलन नियम*
1.	नियम 6 (iii)	छात्रावासों में पूर्व में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को गत गक्षा में न्यूनतम 40 प्र.श. अंक अर्जित किये जाने पर ही छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु पात्र माना जावेगा। यदि आवासित छात्र/छात्रा द्वारा 40 प्र.श. अंक अर्जित नहीं किये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको पुनः प्रवेश नहीं दिया जावेगा। और उसके रिक्त स्थान पर प्रवेश के आशार्थी नवीन छात्र/छात्राओं को नियमानुसार प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।	कोरोना वायरस महामारी के कारण लोकडाउन के फलस्वरूप कक्षा 6, 7 एवं 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया गया है। इन विद्यार्थियों के प्रवेश में गत कक्षा के प्राप्तांकों की वरीयता के संबंध में 40 प्र.श. अंकों के अनिवार्यता को समाप्त कर छात्रावासों में आरक्षण की स्थिति के अनुसार पहले आओ, पहले पाओ के अनुसार पहले प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी। कक्षा 9 व 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा अंकतालिकाऐं जारी की जायेंगी। अतः कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश हेतु 40 प्र.श. की अनिवार्यता रहेगी। कक्षा 11 एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों हेतु प्रवेश परीक्षा पत्र के आधार पर छात्रावासों में प्रोविजनली प्रवेश दिया जावेगा। परीक्षा परिणाम के पश्चात् न्यूनतम 40 प्र.श. प्राप्तांक प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों के नाम प्रवेश सूची से पृथक कर दिया जावेगा।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2020–21 में विभागीय छात्रावासो एवं आवासीय विधालयो में प्रवेश हेतु निम्नानुसार जारी आदेशो में संशोधन किया जाता है :–

1. छात्रावासों के लिये विभागीय आदेश क्रमांक 29426 दिनांक 07.05.2015 एवं आवासीय विद्यालयों के लिए आदेश क्रमांक 29541 दिनांक 07.05.2015 एवं विभागीय आदेश क्रमांक 34054 दिनांक 11.06.2019 के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित किया है। किसी एक श्रेणी में आवेदकों की संख्या अधिक होती है, तो रिक्त सीटों पर पहले आओ पहले पाओं के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
2. मूल ऑनलाईन आवेदन पत्र में विद्यार्थी/अभिभावक के द्वारा आय स्वघोषणा पत्र को अपलोड करने के स्थान पर निर्धारित आयसीमा का लिखित कथन लिया जायेगा ।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

13/5/20
निदेशक

क्रमांक –एफ 7 (2)(1)/रा.छा./सान्या.अवि./20–21/28257-269 जयपुर दिनांक 13/05/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर, ... ।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद .... ।
6. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)/(देवनारायण योजना) मुख्यावास
8. संयुक्त निदेशक (एनालिस्ट सिस्टम), मुख्यावास को भेजकर लेख है, कि उक्त संशोधित नियम को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावे, छात्रावास ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर भी उक्त संशोधन नियमो के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करावे ।
9. उप निदेशक (राईस)/ सहायक निदेशक (छात्रावास)मुख्यावास।
10. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, ... ।
11. समस्त प्राचार्य आवासीय विधालय........................ ।
12. आदेश पत्रावली।

13/05/2020
(अनुपम कायल)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)